

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(3) आ.प्र. एवं स.आ./चारा डिपो/2009-10/

जयपुर, दिनांक

28/1/10

जिला कलेक्टर,  
हनुमानगढ़।

2353-64,

विषय :- अभाव संवत् 2066 में अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनुदानित दर पर चारा वितरण के संबंध में दिशा निर्देश।

प्रसंग :- आपका पत्रांक सहायता/2010/1346 दिनांक 14.1.2010 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि विभागीय समसंख्यक स्वीकृति पत्र क्रमांक 1970-2045 दिनांक 23.1.2010 द्वारा आपके जिले को फरवरी, 2010 हेतु 303 चारा डिपो खोले जाने हेतु अधिकृत किया गया है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशुपालकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपसे प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर फरवरी, 2010 हेतु निम्नानुसार चारा डिपो खोले जाने हेतु संशोधित अधिकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम जिला	चारा डिपो की संख्या
1.	हनुमानगढ़	50

इस संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको प्रेषित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 5 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार चारा डिपो का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ट सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिवगण।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
9. संभागीय आयुक्त, बीकानेर,।
10. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि जिला कलेक्टर से प्राप्त मांग के अनुसार ब्याज मुक्त ऋण राशि 50000/- प्रति डिपो की दर से अविलम्ब आवंटन कराये जाने की व्यवस्था करें।
11. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(3) आ.प्र. एवं स.आ./चारा डिपो/2009-10/

जयपुर, दिनांक 28.1.10

2313-24

जिला कलेक्टर,  
जयपुर।

विषय :- अभाव संवत् 2066 में अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में अनुदानित दर पर चारा वितरण के संबंध में दिशा निर्देश।

प्रसंग :- आपका पत्रांक अकाल राहत/2009/चारा डिपो/5577 दिनांक 18.1.2010 के कम में। महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशुपालकों को अनुदानित दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपसे प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जनवरी, 2010 हेतु निम्नानुसार चारा डिपो खोले जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम जिला	चारा डिपो की संख्या
1.	जयपुर	3

इस संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।


उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको प्रेषित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 5 में व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार चारा डिपो का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

27/1/10  
शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मन्त्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज0, जयपुर
4. विशिष्ट सहायक, संबंधित जिला प्रभारी मंत्रीगण।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) राज0, जयपुर
7. निजी सचिव, संबंधित जिला प्रभारी सचिवगण।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर
9. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
10. मुख्य लेखाधिकारी, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि जिला कलेक्टर से प्राप्त मांग के अनुसार ब्याज मुक्त ऋण राशि 50000/- प्रति डिपो की दर से अविलम्ब आवंटन कराये जाने की व्यवस्था करें।
11. समस्त अधिकारीगण, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, जयपुर।

  
शासन उप सचिव